फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाराम
जाति माली आयु वयस्क (50वर्ष)
राधिका रेजिडेन्सी, नगर परिषद्
निवासी सिरोही
तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.)

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी प्रथम

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 5 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.02.2019	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया जिसकी प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई । हमने मूल परिवाद एवं केश डायरी का अवलोकन किया तो पाया गया कि दिनांक 31.1.2019 को समय 08:10 पी.एम.पर श्री विक्रम सिंह वृताधिकारी वृत सिरोही को सूचना मिली की कस्बा सिरोही में राधिका रेजिडेन्सी कॉलोनी सिरोही में प्रार्थी प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाजी माली अपने रहवासी मकान के आगे गली में एक ऑमनी ईको कार नम्बर आर जे 24 सी ए 4541 में घरेलू गैस सिलेंडर से मशीन द्वारा अवैद्य रूप से गैस (ईधन) भर रहा है , इसी समय चैक किया जावें तो अवैद्य रूप से गैस भरते हुए पकडा जा सकता है। साथ ही अवैद्य रूप से उसके पास रखे गये गैस सिलेंडर (भरे हुए) मिल जाएगें। ईत्तला मुख्बीर की विश्वसनीय होने से ईत्तला मूर्तिब की जाकर श्रीमान् विक्रम सिंह आर.पी.एस. मय श्री नरपत सिंह हैड कानि. नं. 723, महेन्द्र कुमार कानि. नं. 632 मय लेपटॉप व प्रिंटर जरिये सरकारी वाहन मय चालक के रवाना हुआ तथा थाना कोतवाली के जाब्ता को मौके पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया। श्रीमान् विक्रम सिंह आर.पी.एस. मय जाब्ता वक्त 08:30 पी.एम. पर राधिका रेजिडेन्सी (कॉलोनी) सिरोही में श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाजी माली के मकान के पास पहुचें । इतने में कोतवाली थाना का जाब्ता श्री मोहनलाल उनिपु , हैड कानि. नरपत सिंह नं. 297, कानि. मांगीलाल नं. 35 व कानि. हरवीर सिंह नं. 981 जरिये सरकारी जीप के मौके पर पहुंचे । प्रकाश कुमार माली के मकान के आगे रास्ते में एक ऑमनी इको गाडी नं. आरजे 24 सीए 4541 खडी थी जिसमें मशीन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरी जा रही थी । जिस पर मौके पर मौजूद श्री हनवन्त सिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपुत उम्र 50 वर्ष निवासी कृष्णापुरी सिरोही व हिरालाल पुत्र भुताराम जाति माली उम्र 35 वर्ष निवासी महाकाली नगर सिरोही को मौतबीर मामुर कर ऑमनी कार	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

के पास खडे व्यक्ति को उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भंवरलाल पुत्र धनाजी जाति माली उम्र 36 साल निवासी पोसालिया पुलिस थाना पालडी एम हाल भाटकडा चौराहा के पास सिरोही होना बताया जो उक्त ऑमनी कार की टंकी में गैस भरवा रहा था । गैस भरने वाले का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रकाश कुमार पुत्र श्री चमनाराम जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी राधिका रेजिडेन्सी सिरोही का होना बताया । प्रकाश कुमार के मकान के खुले चौक में एक घरेलू गैस सिलेंडर एचपी कम्पनी का उल्टा रखा हुआ था जिसमें मशीन लगाकर ऑमनी कार में गैस भरी जा रही थी । जिसके पास एक घरेलू गैस सिलेडर एचपी कम्पनी का भरा हुआ था , इसके अलावा एक खाली सिलेंडर देवरसा कम्पनी , एक खाली सिलेंडर (कॉमर्शियल) एचपी कम्पनी के मिले।

प्रकाश कुमार के मकान के सामने गली में एक लॉडिंग टेम्पो नं. आरजे 24 जीए 3818 खडा था । जिसके अंदर डाले में कुल 19 एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए मिले जो लॉडिंग टेम्पो प्रकाश कुमार माली ने अपना होना बताया । उक्त एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेंडर मे से मशीन द्वारा ऑमनी कार में भरने बाबत् अनुज्ञापत्र का पूछा तो प्रकाश कुमार माली ने कोई अनुज्ञापत्र नही होना बताया एवं ना ही इन गैस सिलेंडरो के संबंध में बिल /डायरीया अपने पास होना बताया । इस तरह श्री प्रकाश कुमार माली द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेंडर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा कार में अवैद्य रूप से गैस भरना व भंवरलाल माली द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के उक्त घरेलू गैस सिलेंडर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा अपनी कार में भरना व भरवाना जिससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करना व प्रकाश कुमार माली द्वारा बिना अनुज्ञापत्र / बिल व डायरी के भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट व 285 भादस का अपराध होने से वाहन ऑमनी कार मय गैस सिलेंडर , मशीन , एक लॉडिंग टेम्पो जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए को जब्त कर कब्जा पुलिस लिए। गैस भरने की मशीन मय पाईप को चेपा युक्त का मार्क –ए , मशीन के लगा हुआ एचपी कम्पनी का घरेलू गैस सिलेंडर मार्क–बी, पास भरा हुआ एचपी कम्पनी का गैस सिलेंडर मार्क– बी–1 , चार खाली एचपी कम्पनी के गैस सिलेंडर मार्क कमशः बी–2 से बी–5, एक खाली एचपी कम्पनी का (कॉमर्शियल) गैस सिलेंडर मार्क–सी, देवरसा कम्पनी का एक खाली गैस सिलेंडर मार्क–डी, वल्लभ गैस कम्पनी का एक गैस सिलेंडर मार्क– ई, लॉडिंग टेम्पो में भरे एचपी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेंडर कुल 19 जो मार्क कमशः एफ से एफ–18 अंकित किये। बरामदगी स्थल स्थल की फर्द नक्शा नजरी मूर्तिब की गई । मौके पर चैक लिस्ट मूर्तिब कर अभियुक्त श्री प्रकाश कुमार व भंवरलाल को जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद मौके की कार्यवाही के बरामदा गैस भरने की मशीन , जब्त गैस सिलेंडर , जब्त वहन ऑमनी कार व लॉडिंग टेम्पो मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान पेश किये। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरोही द्वारा मुकदमा सं. 30 दिनांक 31.01.2019 अंतर्गत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

धारा 3/7 ई.सी. एक्ट व 285 भादस 1860 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर आवश्यक अनुसंधान शुरू किया गया प्रार्थी द्वारा सिरोही मे घरेलू गैस सिलेंडर में से वाहन में ईधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा गैस भरी जा रही थी। अतः कब्जे सरकार लिये गए लॉडिंग टेम्पो वाहन सं. आरजे 24 जीए 3818 को जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करावे ।

हाजिर अदालत एपीओ श्री चन्दन सिंह एवं प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रकाश माली एवं श्री कुणाल कुमार की बहस सुनी गई। प्रर्वतन अधिकारी सिरोही द्वारा परिवाद के साथ लगाई गई फर्द मौका एवं सुपुर्दगीनामा रिपोर्ट दिनांक 01.9.2019 एवं पर्चा पूछताछ श्री प्रकाश कुमार एवं श्री भंवरलाल के अवलोकन से यह नही पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेंडर कहां से एवं कैसे प्राप्त किये गये इसकी जांच नही की गयर है। अतः हाजिर अदालत अभियोजन अधिकारी श्री चन्दन सिंह को हिदायत दी जाती है कि प्रार्थी के मोबॉईल की कॉल डिटेल्स एवं तहसील क्षेत्र सिरोही के गैस एजेन्सी डिलरो एवं प्रार्थी के मोबॉईल की कॉल डिटेल्स दिनांक 31.01.2019 से 05.02.2019 तक निकलवाकर इस विषय पर अनुसंधान किया जाकर इस तथ्य को उजागर किया जाकर संबंधित गैस एजेन्सी के मालिक को मुकदमा सं. 30/2019 में पक्षकार नही बनाया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत किसी वस्तु का त्वरित निस्तारण करना निम्न तथ्यों पर आधारित है।

1. वस्तु जल्द खराब होने वाली हो जिससे मानव जीवन पर विपरित प्रभाव पडता हो।
2. वस्तु के मालिक को अतुलनीय क्षति हाने का अंदेशा हो।

इस संबंध में दोनो पक्षो द्वारा किसी तरह का कोई विधिक दृष्टांत प्रस्तुत नही किया गया है हमारे न्यायालय में लाइब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत विमलेश कुमार बनाम सरकार 1994(1) WLN 589, संतोष कुमार बनाम सरकार ऑफ एम.पी. ,1995(1)CCR213(MP),1995(1)EFR310(MP) का सम्मान करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पुलिस एवं रसद विभाग द्वारा इस तथ्य का खुलासा नही किया गया है कि–

1. वाहन जल्द खराब होने वाली वस्तु है नही जिससे मानव जीवन पर विपरित प्रभाव पडता हो।
2. वाहन के मालिक को किस प्रकार अतुलनीय क्षति होने का अंदेशा हैं।
3. बरामद गैस सिलेंडर से वाहन में गैस (ईधन) भरते हुए पुलिस द्वारा रंगे हाथो मौके पर पकडा गया है, एवं इस वाहन में कुल 28 सिलेंडर बिना अनुज्ञापत्र के भरे/खाली जिसमें 20 पूरे भरे हुए एवं दो आधे भरे हुए पकडे गये है।

इस प्रकार उक्त मुकदमा सं. 30 दिनांक 31.01.2019 का सम्पूर्ण अनुसंधान होना बाकी है, एवं हो सकता है कि पुलिस एवं रसद विभाग को उक्त वाहनो की एफएसएल एवं अन्य साक्ष्य में आवश्यकता हो प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधिक दृष्टांत विमलेश कुमार बनाम सरकार 1994(1) WLN 589,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

संतोष कुमार बनाम सरकार ऑफ एम.पी. ,1995(1)CCR213(MP),1995(1)EFR310(MP) के पालन में हम वाहन को जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द करना न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होगा । ऐसी स्थिति में अपराध को रोकने के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में खारिज किया जाता है।
आदेश की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही को मूल केस डायरी के साथ भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner